रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 71] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 9, 2018/माघ 20, 1939
No. 71] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 9, 2018/MAGHA 20, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2018

सा.का.नि. 150(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, सहायक प्रवर्तन अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2013 को अधिक्रांत करते हुए प्रवर्तन निदेशालय, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में सहायक प्रवर्तन अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, सहायक प्रवर्तन अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2018 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि -** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता -** वह व्यक्ति –

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन अथवा अचयन पद**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए** आयु-सीमा	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
सहायक प्रवर्तन अधिकारी	425* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण, केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर - 7	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं। **टिप्पणी 1:** केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पणी 2:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री। **टिप्पणी** : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार कारण लेखबद्ध करके शिथिल की जा सकती है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	**परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो**	**भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता**
(8)	**(9)**	**(10)**
आयु - नहीं शैक्षिक अर्हता - हॉं	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	(i) सीधी भर्ती द्वारा 70 प्रतिशत (ii) प्रतिनियुक्ति द्वारा 10 प्रतिशत जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा (iii) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा 20 प्रतिशत जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नित समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	**(12)**	**(13)**
प्रोन्नति: (क) (i) ऐसे सहायक और आशुलिपिक श्रेणी-I जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो या (ii) ऐसे अपर श्रेणी लिपिक या आशुलिपिक श्रेणी – 2 में वेतन मैट्रिक्स-4 में नौ वर्ष नियमित सेवा की हो या (iii) ऐसे सहायक और अपर श्रेणी लिपिक के रूप में नौ वर्ष सम्मिलित सेवा करने वाले व्यक्ति जिन्होंने सहायक के रूप में एक वर्ष न्यूनतम सेवा की हो या (iv) ऐसे आशुलिपिक श्रेणी-1 और श्रेणी-2 के रूप में नौ वर्ष सम्मिलित सेवा करने वाले व्यक्ति जिन्होंने आशुलिपिक श्रेणी-1 के रूप में एक वर्ष सेवा की हो, और (ख) जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि हो और जिनका प्रवर्तन निदेशालय द्वारा इस निमित्त संचालित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से चयन हुआ हो। **प्रतिनियुक्ति:** केन्द्रीय सरकार या राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र जो (केंद्रीय/राज्यों/संघ राज्यों के पुलिस संगठन सहित) से ऐसे अधिकारी- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हैं। (ii) जो मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -6 के पदों में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष नियमित सेवा कर चुके हों। (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में डिग्री; और (ii) विधिक कार्य, आसूचना, अन्वेषण कार्य और निवारण अधिनियम से संबंधित दांडिक/राजकोषीय अपराधों से संबंधित न्यायनिर्णय या अभियोजन में 2 वर्ष का अनुभव **टिप्पणी 1 :-** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2 :-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या	विभागीय प्रोन्नति समिति, प्रोन्नति के लिए, निम्नलिखित होंगे:- (i) प्रवर्तन निदेशक – अध्यक्ष (ii) विशेष / अपर निदेशक प्रवर्तन - सदस्य (iii) उपसचिव/निदेशक, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय – सदस्य विभागीय पुष्टिकरण समिति, पुष्टिकरण के लिए, जिसमें शामिल होंगे:- (i) प्रवर्तन निदेशक – अध्यक्ष (ii) विशेष /अपर निदेशक प्रवर्तन - सदस्य (iii) उपसचिव/निदेशक, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3 :-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को वर्ष से अधिक नहीं होगी। 56		

[फा. सं. ए-12018/1/2015-एडी.ईडी]

संतोष कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th Febreuary, 2018

G.S.R. 150(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Finance, Department of Revenue, Directorate of Enforcement, Assistant Enforcement Officer (Group 'B' post), Recruitment Rules, 2013, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Enforcement Officer in the Directorate of Enforcement, Ministry of Finance, Department of Revenue, namely: -

1. **Short title and commencement**. - (1) These rules may be called Ministry of Finance, Department of Revenue, Directorate of Enforcement, Assistant Enforcement Officer (Group 'B' Post), Recruitment Rules, 2018.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, level in the pay matrix**. —The number of the post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**–No person, -

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to any of the said post:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Assistant Enforcement Officer.	425* (2018)*Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'B' non-Gazetted, non-Ministerial.	Level-7.	Selection.	Not exceeding 30 years. **Note-1:** Relaxable for Government servants upto five years' in accordance with the instructions or orders	Essential: A degree from a recognised University. **Note:** Qualifications are relaxable at the

					issued by the Central Government from time to time. **Note-2:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, and not the closing date prescribed for those in Assam, Megalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Age: No. Educational Qualifications: Yes.	Two years for direct recruits.	(i) Seventy percent by direct recruitment; (ii) Ten percent by deputation failing which by direct recruitment; and (iii) Twenty percent by promotion through limited departmental competitive examination failing which by deputation.

In case of Recruitment by promotion / deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitments.
(11)	(12)	(13)
Promotion: (A) (i) amongst Assistant or Stenographer Grade-I with three years regular service in Level-6 in the pay matrix; or (ii) Upper Division Clerk or Stenographer Grade-II with nine years regular service in Level-4 in the pay matrix; or (iii) nine years combined regular service as	Departmental Promotion Committee, for promotion, consisting of: - (i) Director of Enforcement – Chairman (ii) Special/Additional Director of Enforcement – Member (iii) Deputy Secretary/Director, Department of Revenue, Ministry of Finance – Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

Assistant and Upper Division Clerk subject to minimum of one year regular service as Assistant; or (iv) nine years combined regular service as Stenographer Grade-I and Grade-II subject to minimum of one year regular service as Stenographer Grade-I; and (B) having a Degree from recognized University and selected through a Limited Departmental Competitive Examination conducted in this behalf by the Directorate of Enforcement. **Deputation:** Officers from Central Government or State Government or Union territories (Including officers from Central Government or States Government or Union territories Police organisations): (A) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Level-6 of the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (B) Possessing the following educational qualification and experience: - (i) A degree in any subject from a recognized university; and (ii) Two years' experience in the field of Legal Work, Intelligence, Investigation work and Adjudication or prosecution relating to fiscal or criminal laws. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/ department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.	Departmental Confirmation Committee, for confirmation, consisting of: - (i) Director of Enforcement – Chairperson (ii) Special /Additional Director of Enforcement – Member (iii) Deputy Secretary/Director, Department of Revenue, Ministry of Finance – Member.	

[F. No. A-12018/1/2015 -Ad.ED]

SANTOSH KUMAR, Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.02.12 20:07:32 +05'30'